


66

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)



1. रघुराज सिंह तनय रव. शिव प्रसाद सिंह, उम्र 56 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम बहेराडाबर, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)
 2. सर्वजीत सिंह तनय रव. शिव प्रसाद सिंह, उम्र 46 वर्ष, पेशा वकालत, निवासी ग्राम बहेराडाबर, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) हाल पता शिवाजी नगर नौदिया, सीधी, तहसील गोपदबनास, थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी (म.प्र.) – निगरानीकर्तागण
- R-2524-I/12*

बनाम

मैकू कोल तनय रव. लछड़िया कोल, उम्र लगभग 80 वर्ष, निवासी ग्राम दुधमनिया, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) – उत्तरवादी

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय रीवा जिला रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक— 1243423/2011-12 पारित आदेश दिनांक 25.

07.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निवेदन है कि निगरानीकर्ता गण की ओर से निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है :-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि उत्तरवादी ने न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज जिला रीवा म.प्र. के यहां धारा-170ख म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम बहेराडाबर की भूमि खसरा नं०- 180,

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-४५२५-८३।।२

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
(३)।४।१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....प्राप्त होती है। रीवा के प्रकरण क्रमांक४५२५-८३।।२ में पारित आदेश दिनांक २५-७-१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीपा क्लेमार्ग को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक८-१०-१९ को आयुक्त रीवा संप्राप्ति के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश बन्द्र चौधरी) सदस्य</p> 